

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या - 2242/2011/दौसा.

मैसर्स सनसाईन कॉम्प्लेक्स प्रा० लिमिटेड,
रजि० कार्यालय डंगायच मैशन एस.एम.एस. हाईवे जयपुर
जरिये निदेशक गंगाराम खण्डेलवाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद
खण्डेलवाल निवासी 55, कैलाशपुरी टोंक रोड़, जयपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक दौसा.
2. श्री मदन लाल पुत्र श्री कल्याण प्रसाद निवासी प्लाट नं० बी-100, युनिवर्सिटी मार्ग, बापूनगर, जयपुर.

.....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री भवानी सिंह रावत, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/09/2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त-द्वितीय (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 769/2008 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2010 सपटित आदेश दिनांक 28.07.2011 अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 श्री मदन लाल पुत्र श्री कल्याण प्रसाद द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नं० 1570 व 1571 कस्बा दौसा खुर्द क्षेत्रफल 4522.22 वर्गगज का विक्रय प्रार्थी मैसर्स सनसाईन कॉम्प्लेक्स प्रा० लि०, जयपुर को रूपये 60,51,000/- में करना दर्शाते हुए दस्तावेज पंजीयन हेतु दिनांक 03.04.2006 को उप-पंजीयक दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-पंजीयक ने प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत आवासीय दर अनुसार रूपये 1,82,28,450/- निर्धारित करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तोवज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात महालेखाकार जांचदल की निरीक्षण अवधि 1/06 से 12/06 के दौरान प्रश्नगत सम्पत्ति दौसा में तिवाड़ी धर्मकांटे से सोमनाथ तिराहे तक जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण




लगातार.....2



अर्द्ध-व्यावसायिक मानते हुए सड़क के पास 20' गहराई तक वाणिज्यिक एवं शेष भाग की मालियत आवासीय दर से आंकते हुए कुल मालियत रूपये 2,18,91,450/- होने तथा प्रश्नगत दस्तावेज कमी मालियत पर पंजीबद्ध होने का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप की पालना में उप-पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत आक्षेपानुसार रूपये 2,18,91,450/- प्रस्तावित करते हुए मुद्रांक अधिनियम की धारा 47ए(2ए) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेंस प्राप्त होने के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स निर्मित होने के आधार पर सम्पूर्ण भूखण्ड की मालियत वाणिज्यिक दर रूपये 1300/- प्रति वर्गफीट व कॉर्नर प्लॉट होने से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एवं निर्माण की लागत सहित कुल मालियत रूपये 5,83,88,833/- निर्धारित करते हुए प्रार्थी से कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 26,10,425/- एवं शास्ति रूपये 14,575/- सहित कुल रूपये 26,25,000/- की मांग आदेश दिनांक 28.09.2010 से कायम की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.06.2011 को प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित किया जावे। कलेक्टर (मुद्रांक) के द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 28.07.2011 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा विक्रय दस्तावेज दिनांक 03.04.2006 के जरिये कृषि भूमि क्रय की गयी है, जिसकी मालियत की गणना उप-पंजीयक द्वारा आवासीय दर से करते हुए विक्रय दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। वक्त पंजीयन प्रश्नगत भूखण्ड पूर्णतः रिक्त था, जिसमें किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ नहीं था। विक्रय दस्तावेज निष्पादित किये जाने की दिनांक को प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की थी, तथा आज दिनांक तक भी प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति कृषि ही है। किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवासीय/वाणिज्यिक उपयोगार्थ रूपान्तरित नहीं किया गया है। फिर भी प्रार्थी द्वारा कानूनी विवाद से बचने के कारण उप-पंजीयक द्वारा आवासीय दर से निर्धारित मालियत पर देय मुद्रांक/पंजीयन अदा की जाकर दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया है। अग्रिम कथन किया कि किसी भी भूखण्ड की मालियत तब तक व्यावसायिक दर से निर्धारित नहीं की जा सकती, जब तक कि बिक्रीत भूखण्ड स्थानीय निकाय से वाणिज्यिक उपयोग हेतु रूपान्तरित ना कर दिया गया हो। स्थानीय निकाय






लगातार.....3

से भू-उपयोग परिवर्तन एक अत्यन्त ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई वर्ष तक लग जाते हैं। भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात भी स्थानीय निकाय द्वारा पट्टा जारी किया जाता है, जिसे पुनः उप-पंजीयक कार्यालय में मुद्रांक/पंजीयन अदा की जाकर पंजीबद्ध करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी भू-उपयोग परिवर्तन के प्रार्थी के कृषि भूखण्ड की मालियत की गणना आवासीय दर से की जाकर तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर प्रार्थी पर पहले से ही आर्थिक भार डाला जा चुका है, इसके पश्चात सम्पूर्ण भूखण्ड की मालियत वाणिज्यिक दर से निर्धारित की जाकर तदनुसार मुद्रांक शुल्क व शास्ति की मांग सृजित करना प्रार्थी पर दोहरा/तिहरा करारोपण किये जाने के समान है।

4. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 03.04.2006 को पंजीबद्ध हुआ है, जबकि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 30.08.2010 को अर्थात् चार वर्ष चार माह पश्चात मौका निरीक्षण किया गया है। अतः चार वर्ष पश्चात किये गये मौका निरीक्षण के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत वाणिज्यिक दर से निर्धारित किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कृत्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स (2007) 19 टैक्स अपडेट 355; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार 2010 (2) RRT 731 एवं आर.आर.टी 2012 (1) पेज 532 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरिश टण्डन व अन्य तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2006) आर.बी.जे. (13) 305 एवं 2006 (1) डी.एन.जे. (राजस्थान) 452 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक की अवस्थिति के अनुसार ही की जा सकती है। भविष्य की सम्भावनाओं एवं पश्चातवर्ती उपयोग के आधार पर किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना नहीं की जा सकती।

5. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध होने के पश्चात भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने अथवा अन्यत्र उपयोग किये जाने के आधार पर सम्पत्ति की मालियत की गणना भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती। इसी प्रकार राजस्थान सरकार एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में उप-पंजीयक व कलेक्टर (मुद्रांक) को यह दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं कि



लगातार.....4

किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके वर्तमान उपयोग के आधार पर ही की जाये, ना कि भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर। इसके बावजूद कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा विक्रय विलेख पंजीयन के चार वर्ष चार माह पश्चात मौका निरीक्षण के आधार पर वाणिज्यिक दर से मालियत की गणना करते हुए प्रार्थी के विरुद्ध भारी मांग कायम किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश को अपास्त किये जाने एवं प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।


6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का मौका निरीक्षण किये जाने पर मौके पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स निर्मित पाया गया। ऐसी स्थिति में इसकी मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से ही की जा सकती है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नगत विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 03.04.2006 को किया गया है, तत्समय प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की थी। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध होने के लगभग चार वर्ष व चार माह पश्चात दिनांक 30.08.2010 को मौका निरीक्षण किया गया है, जिसमें मौके पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स निर्मित पाया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके विक्रय विलेख पंजीयन होने की दिनांक की अवस्थिति के आधार पर ही की जा सकती है। भविष्य के की सम्भावनाओं अथवा पश्चातवर्ती उपयोग के आधार पर मालियत की गणना नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण में ना तो कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली एवं ना ही दौराने बहस विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पंजीयन की दिनांक को वाणिज्यिक उपयोग की थी, अथवा इसका आज दिनांक तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवाया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति



लगातार.....5



आज दिनांक तक कृषि ही मानी जा सकती है। यह भी निर्विवादित है कि उप-पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति मुख्य सड़क पर अवस्थित होने के कारण आवासीय दर से मालियत की गणना करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तावेज का पंजीयन किया गया है, जो कि प्रार्थी द्वारा वक्त पंजीयन अदा किया जा चुका है। इसके पश्चात ऑडिट आक्षेप के आधार पर रेफरेंस प्रेषित करना एवं चार वर्ष पश्चात की स्थिति के आधार पर तदनुसार मालियत का निर्धारण करते हुए मुद्रांक शुल्क व शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।


9. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

10. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 731 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल किया जाकर ही पंजीबद्ध किया जा सकता है।

11. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2012 (1) पेज 532 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरिश टण्डन व अन्य में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Indian Stamp Act, 1899 - Sec. 47-A & 23 - Demand notice for deficient stamp duty challenged - Collector treated the property as commercial without giving opportunity of hearing - At the time of execution of sale deed property was in use as a residential purpose - No corner plot - **At the later point of time property is being used as commercial is not a relevant criteria for assessing the value of the property - Relevant date is the date of purchase for determination of the nature of the property - Held, Demand notice rightly quashed.**"





लगातार.....6

12. इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निम्न निर्णयों में व्यवस्था दी गयी है कि -

(1) 2014 (2) आर. आर. टी. 1366 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ज्ञानसिंह मीणा व अन्य निगरानी संख्या 805/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 18.03.2014 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

Rajasthan Stamp Act, 1998-Sec.51-Reference dismissed-Site inspected after 9 monthes of the registration of document at random basis-It is not presumable that the construction was present on the day of registration of the document-Valuation cannot be determined after 9 months-Held, Order of rejecting reference is proper.

(2) निगरानी संख्या 2314/2012 व 2315/2012/अलवर श्री समयसिंह चौहान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2015 में माननीय खण्डपीठ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि कृषि भूमि के संभावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग को देखते हुए भूमि की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से नहीं की जा सकती है।

(3) निगरानी संख्या 2286/2007/नागौर में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2010 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि -


"The value of the agricultural land will be determined as per the situation of the land on the date of registration."

(4) आर.बी.जे. (16) 2009 पेज 57 फूलचन्द पुत्र श्री श्यामाराम जाट, झुंझुनूं बनाम राज्य सरकार जरिये उप-पंजीयक, चिड़ावा व अन्य में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"INDIAN STAMP ACT, 1899 - Section 47-A (4) Market Value - When in Jamabandhi and Girdawari, land has been recorded as agricultural land, Market Value of such land cannot be determined as commercial or residential. In this case, disputed land in the revenue record was recorded as agricultural land. But for the purpose of determining the stamp duty liability at the time of registration of the document, the market value of the land was determined as commercial and residential. Whereas stamp duty can be charged only on the basis of nature of the land on the date of registration. Therefore stamp duty of the disputed land will be charged as agricultural land. Revision accepted."



लगातार.....7



13. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर मूल्यांकन नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु संख्या 9 निम्न प्रकार है :-

9. भूमि के सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार भूमि का मूल्यांकन नहीं करें :

राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, स्थानीय निकाय की योजना में स्थिति, रूपान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जावे। सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।”

14. इसी प्रकार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 5/2006 क्रमांक एफ-7(67)जन/06/2285-2720 दिनांक 30.01.2006 में भी सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किये जाने बाबत निर्देश दिये गये हैं।


15. कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली में अथवा दौराने बहस विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी अथवा विक्रेता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का स्थानीय निकाय से भू-उपयोग परिवर्तन करवाया गया हो। भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है, तथा भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात भी पट्टाग्रहिता द्वारा पट्टे को नियमानुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा की जाकर उप-पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया जाना बाध्यकारी है। इस प्रकार बिना भू-उपयोग परिवर्तन किये प्रश्नगत सम्पत्ति को वाणिज्यिक अवधारित करते हुए मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की मांग कायम किया जाना तथा भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात पुनः पट्टे को पंजीबद्ध करवाया जाना प्रार्थी पर दोहरे करारोपण की श्रेणी में आता है, जिसे न्यायोचित एवं तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा विक्रय विलेख पंजीयन के चार वर्ष पश्चात मौका निरीक्षण करते हुए अपने स्वविवेक, न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा विभागीय परिपत्रों में दिये गये दिशा-निर्देशों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए वाणिज्यिक दर से मालियत का निर्धारण करते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध भारी मांग कायम किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है।





16. उक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचन के मददेनजर यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि क्रय की गयी है। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा वाणिज्यिक दर से मूल्यांकित किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

17. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 28.09.2010 व 28.07.2011 अपास्त किये जाते हैं। उप-पंजीयक द्वारा वक्त पंजीयन प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 1,82,28,450/- निर्धारित करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तावेज का पंजीयन किया गया है, अतः विक्रय दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित घोषित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों के विरुद्ध माननीय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली राशि रूपये 13,12,500/-, जो कि जरिये रसीद संख्या 2011397039596 दिनांक 25.10.2011 से जमा करवाई गई है, को बाद सत्यापन लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

18. निर्णय सुनाया गया।


15/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य


15-9-2016
(मदन लाल)
सदस्य